संख्याः 231/ xxii /2011-2(7) 2011

प्रेषक

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 **देहरादूनः दिनांक 6 सितम्बर, 2011**

विषयः दिवंगत पत्रकार स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति को चिरस्थायी बनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 83/ xxii/2011-2(7)2011 दिनांक 14.02.2011 एवं आपके पत्रांक संख्या-559/सू.एवं.लो.सं.वि. के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिवंगत पत्रकार स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति को चिरस्थायी बनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार निम्नवत व्यवस्था के अनुसार दिये जाने का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

1. पुरस्कार का नाम दिवंगत पत्रकार स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति पुरस्कार रखा जाय।
2. पुरस्कार के रूप में एक स्मृति चिन्ह एवं रूपया 51,000/- की धनराशि प्रदान की जाय, जो पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत गठित कारपस फंड में जमा धनराशि पर ब्याज से प्रदान किया जाय।
3. पुरस्कार प्रतिवर्ष एक पत्रकार को 30 मई को पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित कर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जाय। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पत्रकार को निम्न मानदंड पूरे करने होंगे-
   1. वरिष्ठ पत्रकार की आयु कम से कम 55 हो।
   2. पत्रकार का पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा गत 15 वर्षों से उत्तराखण्ड में नियमित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हो।
   3. पत्रकार का व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता होना चाहिए।
   4. पत्रकार के सामाजिक/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक/विकासात्मक/रचनात्मक आदि विषयों पर नियमित रूप से लेख/स्टोरी प्रकाशित/प्रसारित हुई हों।
   5. उपरोक्त मानदंडों के अनुसार पत्रकारों के नामांकन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।
   6. पुरस्कार हेतु पात्र पत्रकार के चयन के लिए एक समिति का गठन का भी प्रस्ताव हैः-

(क) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव सूचना	उपाध्यक्ष
(ग) महानिदेशक/निदेशक सूचना	सदस्य
(घ) प्रिंट मीडिया का एक वरिष्ठ पत्रकार	सदस्य

(ड.) इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का एक वरिष्ठ पत्रकार   सदस्य

(च) एक वरिष्ठ साहित्यकार   सदस्य

7. उक्तानुसार गठित समिति पुरस्कार हेतु पात्र पत्रकार का चयन कर उस पर मा0 सूचना मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

<u>संख्याः /xxii /2011-2(7) 2011, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि :</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्याः 323/ xxii /16-2(7) 2011

प्रेषक

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 **देहरादून दिनांक 22 नवम्बर, 2016**

विषयः दिवंगत पत्रकार स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति को चिरस्थायी बनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-231/ xxii /2011-2(7)2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **''स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा स्मृति पुरस्कार''** के रूप में एक स्मृति चिन्ह एवं रू. 51,000/- की घनराशि दिये जाने की सीमा निर्धारित की गई है।
2. इस संबंध में दिनांक 22.12.2015 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोंपरान्त लिए गये निर्णय एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-156/2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-231/ xxii /2011-2(7)2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2016 के बिन्दु संख्या 02 में पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली धनराशि को 03 श्रेणियों निम्नवत बढाया जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम	श्रेणियां	धनराशि
01	वरिष्ठ पत्रकार	रू. 2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार मात्र)
02	प्रौढ पत्रकार	रू.1,51,000/- (एक लाख इक्यावन हजार मात्र)
03	युवा पत्रकार	रू. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

3. समिति यदि चाहें तो उपलब्ध प्रस्तावों के अलावा भी किसी अन्य पत्रकार का नाम का सुझाव भी प्रस्तुत कर सकती है।
4. पत्रकार कल्याण कोष के अर्जित मूलधन के ब्याज से ही पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जायेगी। इस हेतु अतिरिक्त धनराशि के मांग कदापि नही की जायेगी।
5. उक्त के अतिरिक्त पूर्व में शासनादेश संख्या-231/ xxii /2011-2(7)2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2011 में निर्धारित शर्ते एवं चैक लिस्ट आदि व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।
6. उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या 154 P/VI(5) 16-17 दिनांक 15 .11. 2016 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्याः / XXII /16-2(7) 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।